

हुक्म जारी

तारीख हुक्म

कमुठ खियाराम म ३ महेन्द्र

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

प्रकरण सं. १७/१५

दावा

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये


१/१/१८

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार केम्प महडपुरा में पेशा हुयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। केम्प ने दोनों पक्षकार उपस्थित आये। पक्षकारों ने कहा कि इग्निस दल द्वारा सम्झौता करने पर हमने सहमति से बंधन कर लिया है हमारा बंधन कर दिया जावे। केम्प में मौके पर ही दोनों पक्षकारों की सहमति अनुसार कुर्जात प्रस्ताव तैयार कराये गये। कुर्जात प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकार द्वारा आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। श्रवः हम द्वारा मुताबिक कुर्जात प्रस्ताव अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार-२०१८

श्रवः आदेश है कि दावा वादीगण मुताबिक कुर्जात प्रस्ताव अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नानुसार विवादित आराजी का बंधन कर दिया जाता है यह बि वादी सं. १ लगा. ५ भूदेवी पत्नी स्व. भगवान सिंह व खियाराम, रामगीत, धर्मवीर पि. भगवान सिंह कांम मल्हा सा. देह खातेदार राहिन PNB शाखा गुनपुर मु.वि. क. के हिस्से में आ.ख.नं. ४४७ रकबा २ बीघा १६ कित्वा (पारिचय दिशा) विस्म का.प्र. लगान ५-६०/- रु. हिस्से में रहेगी। इसी प्रकार प्रतिवादीगण सं. १ लगा. ६ रामरती पत्नी स्व. हुल्बलाल व रामेश्वर, महेन्द्र सिंह, पुत्राने व रामकरोरी, श्री प्रीयाम पि. हुल्बलाल कांम मल्हा सा. देह खातेदार राहिन PNB शाखा गुनपुर मु.वि. क. के हिस्से में आ.ख.नं. ४४७ रकबा १ बीघा

उपरोक्त आयत्री ग्राम बोकपुरा
 तहसील राजखेड़ा में स्थित हो उक्तानुसार
 राजल रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण
 के पृथक-पृथक खारे काथम किने जाने
 के आदेश दिने जाते है पत्र अतिर राजल लोक
 स्थाय आम्के
 स्थिी लगान के 10 गुने मुद्रांक शुल्क
 के साथ देय काने पर जारी हो।
 पत्रावली जैसन शुमार होकर हाजिल दफ्तर
 हो। हुकम सुनाया गया


 उपसुब्ब अधिकारी
 राजखेड़ा (बोकपुर)

[Faint, mostly illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]